

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B11851 /  
II-14-9-83 XVII

जबलपुर, दिनांक 04/06/2018 ६४

श्रीमती गीता मरावी, सहायक ग्रेड-तीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "माखनलाल चतुर्वेदी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त महात्मा गांधी महिला कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट जबलपुर से पी.डी.डी.सी.ए. में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नानुकूल शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगान से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि ये शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दापहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पार गए ता यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

5/-

(मेरा फहीम अर्निंरर)  
रजिस्ट्रार जनरल  
Bn

क्रमांक B11852 /  
II-14-9-83 XVI

जबलपुर, दिनांक 4/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
3. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. अनुभाग ऑफिकरी रथापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
5. सहायक रथापना / डिस्पैच (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती गीता मरावी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।

Un-310  
26-3-

(चन्द्रेश कुमार खर)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)  
Bn

Registrar (Administration)  
High Court of Madhya Pradesh  
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर  
// आदेश //

क्रमांक B 11853 /  
II-14-9/83 XVII

जबलपुर, दिनांक 4/०६/2018

श्री अजीत कुमार धुर्वे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को एमए. अंतिम वर्ष (सत्र 2017-18) की परीक्षा में स्वाध्यायी रूप से समिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की भजाती है :—

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर रखते कार्य पर उपस्थित होगा। बिना पूर्णानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगान से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि दो शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(मो. फहीम अनवर)  
रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक B 11854 /  
II-14-9/83 XVII

जबलपुर, दिनांक 4/०६/2018

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  2. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  3. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  5. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. श्री अजीत कुमार धुर्वे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।

(चन्द्रेश कुमार खर्र)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Registrar (Administration)  
High Court of Madhya Pradesh  
Jabalpur - 461001

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B1 1855

II-14-9/83-XVII

जबलपुर, दिनांक 4/03/2018

श्री डी.के. मिश्रा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संस्कृत भाषा डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीर्णी रूप से समिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जायेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर सकते कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कायालयोन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जायेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अधिकार हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

SC/-

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठाकान क्रमांक B1 1856

II-14-9/83-XVII

जबलपुर, दिनांक 4/03/2018

प्रतिलिपि -

1. प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, गवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 1894/स्था. ग्वालियर, दिनांक 16.03.2018 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आईटी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की टेलसाईट पर अपलोड कराने हेतु
4. ज्वाइट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
5. डिप्टी रजिस्ट्रार..... (समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर / ग्वालियर.
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री डी.के. मिश्रा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अयोपित।

Under  
24/3/18

(चन्द्रेश कुमार खरे)

रजिस्ट्रार(प्रशासन)

Par

Registrar (Administration)

High Court of Madhya Pradesh

Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर  
//आदेश//

क्रमांक ८।।८५७ /  
II-14-9-83 XVII

जबलपुर, दिनांक ४/०३/२०१८ ५

श्री पीताम्बर प्रसाद कारी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को  
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट (एम ओ एम.)  
पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नान्ति शर्तों के अधीन  
प्रदान की जाती है -

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा।  
अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा  
स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना  
होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगान से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान  
न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिफूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि  
दो शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की  
जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति  
निरस्त पर दी जायेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन डेट् अनुमति त्रुटी दी  
जायेगी।

८।।८५८/-

(मो. फहीम अनवर)  
रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक ८।।८५८ /  
II-14-9-83 XVII

जबलपुर दिनांक ४/०३/२०१८ ६

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रांटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
5. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
6. श्री पीताम्बर प्रसाद कारी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

८।।८५९/- १०

(चन्द्रेश कुमार खरे)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

८।।८६०/-